रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102023-249588
CG-DL-E-20102023-249588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4420] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945
No. 4420] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4594(अ).—जबकि, पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी वितरण प्रक्रियाएं सरल होती है, पारदर्शिता और दक्षता आती है, और इससे आवेदक अपना काम सीधे सुविधाजनक निर्बाध तरीके से करने में सक्षम होते हैं, और आधार से अपनी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज़ तैयार करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है;

तथा जबकि, आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उप-धारा 4 के खंड (बी) के उप-खंड (ii) के साथ पठित, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 की धारा 3 के अनुसरण में, केंद्र सरकार, सुशासन के हित में, निवासियों के जीवन में सरलता को बढ़ावा देने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने के लिए, संस्थाओं से अनुरोध करके स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है;

अब, इसलिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, का.ज्ञा. संख्या 10(11)/2023-ईजी-II दिनांक 23 अप्रैल 2023 के माध्यम से, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, के प्रयोजन हेतु सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने हेतु निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्:

1. डिजी यात्रा फाउंडेशन, गैर-लाभकारी कंपनी, डिजी यात्रा ऐप या प्रोग्राम पर यात्रियों के सत्यापन और ई-केवाईसी के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करेगा।

2. डिजी यात्रा फाउंडेशन, कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकताओं के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

3. संपर्क रहित सेवाएं जिनके लिए नागरिक को आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, वे निम्नानुसार हैं:

(क) डिजी यात्रा ऐप या प्रोग्राम में नागरिक का नामांकन;

(ख) पूरे भारत में हवाईअड्डे के चेक पॉइंटों पर एकल सिंगल टोकन फेस बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके निर्बाध, अवरोध-मुक्त यात्री अनुभव प्रदान करना; और

(ग) किसी भी अन्य चेक पॉइंट, सार्वजनिक स्थानों, यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में, जहां उन स्थानों और सेवाओं तक नागरिक पहुंच के लिए पहचान सत्यापन की आवश्यकता है, वहां डिजी यात्रा ऐप क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके निर्बाध पहचान सत्यापन किया जाना।

[फा. सं. ए वी- 13024/1/2018 - ए. एस.]

प्रमोद कुमार ठाकुर, उप महानिदेशक

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

S.O. 4594(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables applicants to get their work done directly in a convenient seamless manner, and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, in pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section 4 of Section 4 of the Aadhaar Act, 2016 (18 of 2016) read with rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Central Government may allow Aadhaar authentication on a voluntary basis by requesting entities, in the interest of good governance, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them;

Now, therefore, as per approval received from the Ministry of Electronics and Information Technology, vide O.M. F. No. 10(11)/ 2023-EG-II dated 23rd April 2023, the Ministry of Civil Aviation, Government of India, for the purpose of usage of digital platforms to ensure good governance, herby notifies the following, namely:

1. Digi Yatra Foundation, a not-for-profit company, to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for verification and e-KYC, of passengers on the Digi Yatra App or Program.

2. Digi Yatra Foundation shall make all the required arrangements for wide publicity through media to make citizens aware of the requirements of Aadhaar for availing contactless services through implementing agencies.

3. The contactless services for which a citizen requires to undergo Aadhaar authentication are as under:

(a) Enrolment of the citizen into the Digi Yatra App or Program;

(b) Seamless, hassle-free passenger experience using single token face biometrics at airport check points across India; and

(c) Seamless identification validation using the Digi Yatra App credentials at any other Checkpoints, Public places, Travel, Tourism and Hospitality sectors where Identity validation is required for citizen access to places and services.

[F. No. AV-13024/1/2018-AS]

PRAMOD KUMAR THAKUR, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2023.10.20 18:24:25 +05'30'